
स्ट्रीट वेंडिंग <mark>कोविड-19</mark> के समय में



W I E G O Women in Informal Employment:

SOCIAL DESIGN

रचना व चित्रणः आँचल सयाल नवंबर २०२०

आभार

यह गाइड <u>WIEGO फ़ोकल सिटी दिल्ली</u> और <u>सोशल डिजाइन कोलैबोरेटिय</u> द्वारा रची गई है। WIEGO द्वारा निर्मित <u>असंगठित क्षेत्र के कामदारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देश</u> और सार्वजनिक स्थानों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए सोशल डिज़ाइन कोलैबोरेटिय द्वारा किये गए अध्ययन को यह गाइड आगे लेकर जाती है।

यह गाइड दिल्ली में दो पायलट परियोजनाओं से मिली सीख को भी आगे ले जाती है, जो "मैं भी दिल्ली" अभियान का हिस्सा बन अगस्त और सितंबर 2020 में की गई थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य था साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के तरीकों को लागू करना। इस सहयोगात्मक परियोजना में शामिल थे - WIEGO, सोशल डिज़ाइन कोलैबोरेटिव, सिटी सभा, टैगोर रोड पर महिला मार्केट के लिए सेवा दिल्ली और दिलशाद गार्डन में साप्ताहिक बाज़ार के लिए जन पहल। इस गाइड में "अपने अधिकारों को जानें" वाला अध्याय IGSSS द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित है।

हम उन सभी के योगदान के लिए आभारी हैं जो पायलट परियोजनाओं के दौरान फील्ड में मौजूद थे - आँचल सयाल, धर्मेंद्र कुमार, एच.एस. रावत, लता बहन, निष्ठा कश्यप, राशी मेहरा, रिद्धि बत्रा, सलेहा सपरा, सुभद्रा पांडे और स्वाति जान्। स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग और समर्थन के बिना फील्ड में हमारी समझ अधूरी रह जाती और हम इसके लिए विशेष रूप से आभारी हैं।

इस गाइड में क्या है

कोविड-१९ कैसे फैलता है?

यह गाइड किसके लिए है?



पृष्ठ संख्या

3 सुरक्षा दिशा निर्देश



4 बाज़ार की व्यवस्था के तरीके



सोशल डिस्टेंसिंग के सरल तरीके



इस्तेमाल के लिए सस्ता सामान



सैनिटाइज़ेशन स्टेशन बनाना सीखें



अपने अधिकारों को जानें



स्टैंसिल बनाएं




1. यह गाइड किसके लिए है?



कोविड-19 से दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन और आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कई शहरों में तालाबंदी के कारण अस्थाई और साप्ताहिक बाज़ारों को बंद करना पड़ा है।

यह गाइड डिज़ाइन की गई है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और महामारी के दौरान अपने व ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरत सकें। यह व्यक्तिगत वेंडर, बाज़ार संगठन और उन संगठनों के लिए है जो स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि यह जानकारी वेंडर्स तक पहुँच सके।

क्या आप इन वेंडर्स में से एक हैं? तो यह गाइड आपके लिए है।



🔾 मणिपुर



🤉 ओडिश



पश्चिम बंगाल



💡 महाराष्ट्र



यह तसवीरें भारतीय राज्यों द्वारा अपनाए सोशल डिस्टेंसिंग के तरीकों को दशती हैं।

🔾 केरल



् तेलंगाना



🔾 आंध्र प्रदेश



"मैं भी दिल्ली" अभियान के पाइलिटिंग प्रक्रिया की तसवीरें



सैनिटाइज़ेशन स्टेशन स्थापित



सैनिटाइज़ेशन स्टेशन की जाँच



ग्राहकों के लिए सीमांकन



स्प्रे पेंट किये हुए चिन्ह



भूमिका के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रदर्शन

2. कोविड-19 कैसे फैलता है?







लोगों के साथ संपर्क से

मुख्य रूप से कोविड-19 सांस की बूंदों से फैलता है। खांसने, छींकने या बोलने से, नाक और मुँह से छोटी बूँदें वातावरण में फैलती हैं।



भीड़ भरे स्थानों में

वायरस कम हवा वाले भीड़ भरे स्थानों में फैलता है। बाहरी स्थानों में वायरस से संक्रमित होने की संभावना कम होती है, खासकर अगर हवा हो।



संक्रमित स्थानों को छूने से

वायरस संक्रमित स्थानों को छूने के बाद अपनी आँखें, मुँह या नाक को छूने से फैलता है।



लक्षण









सांस लेने में कठिनाई

3. सुरक्षा दिशा निर्देश



कपड़े का मास्क पहनें जो मुँह और नाक ढके

अपने मास्क को नियमित रूप से धोएं। कुछ मास्क रखें ताकि आपके पास एक साफ़ मास्क हर दिन हो। अपने ग्राहक को भी मास्क पहनने के लिए ज़रूर कहें।



अपने चेहरे को ना छुएं, खासकर आँखें, मुँह और नाक

खांसते या छींकते समय अपने चेहरे को कोहनी के अंदर से ढकें।




लोगों को मिलते समय न छूएं

लोगों से मिलते समय, उन्हें न छूएं। 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखें, और जहाँ यह संभव न हो, वहाँ कम से कम एक हाथ की दूरी बनाएं।



अपने हाथों को साबुन और पानी से अक्सर धोएं

घर पहुंचते ही या खांसने या छींकने के बाद, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ और बांह मल कर साफ करें।



उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को प्राथमिकता दें

उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को - जैसे पेंशनभोगियों, विकलांग लोगों और गर्भवती महिलाओं को -कतारों में प्राथमिकता दें।



ग्राहकों को माल छूने से रोकें






अक्सर छूए जाने वाली सतह साफ़ करें

फ़ोन, दरवाज़ों के हैंडल और रेलिंग जैसे अक्सर छूए जाने वाली सतह को साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़र या कीटाणुनाशक का उपयोग करें। सैनिटाइज़र से ग्राहकों के हाथ स्प्रे करें।



हो सके तो रूपयों को न छूएं

ग्राहकों को एक लिफ़ाफ़े या बक्से में रुपय डालने के लिए कहें। कल इस्तेमाल किये गए रुपयों को अलग रखें। जहाँ संभव हो डिजिटल भ्गतान विधियों का प्रयोग करें।



थैलियों के पुनः उपयोग से बचें और ग्राहकों के बैग को न छूएं

यदि ग्राहक अपने बैग का उपयोग करते हैं, तो उन्हें न छुएं। यदि आप थैलियाँ प्रदान करते हैं, तो प्नः उपयोग वाली न करें।

बुज़ुर्ग लोग (आयु:60)




गर्भवती महिला



उच्च रक्तचाप डाएबेटीज़ के अस्थमा या फेफड़ों की कैंसर/एच.आई.वी के मरीज

















4. बाज़ार की व्यवस्था के तरीके




दुनिया भर में बाज़ार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विभिन्न डिज़ाइन का उपयोग कर रहे हैं।



सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए आप इन सरल तरीकों का पालन कर सकते हैं।



ठेलों के बीच 6 फ़ीट और ग्राहकों के खड़े होने के स्थानों के बीच 3 फ़ीट की दूरी बनाएं



5. सोशल डिस्टेंसिंग के सरल तरीके



वेंडर और ग्राहक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं।



चौक/पेंट/रस्सी से सीमांकन



जन जागरूकता के लिए स्प्रे पेंट कियेचिन्ह



जन जागरूकता के लिए पर्चे/पोस्टर/प्लेकार्ड



जन जागरूकता के लिए घोषणा



हैंड वॉश/ सैनिटाइज़ेशन स्टेशन



ग्राहकों का निर्देशित प्रवाह

इन सरल तरीकों से आप सफलतापूर्वक वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं!



6. इस्तेमाल के लिए सस्ता सामान





पेंट या चौक से ग्राहकों के खड़े होने के स्थान पर गोले बनाएं





सोशल डिस्टेंसिंग पर जागरूकता फ़ैलाने के लिए दीवारों पर चिन्ह स्प्रे पेंट कियेजा सकते हैं - ऐसा एक चिन्ह बनाने के लिए अंत में एक स्टेंसिल दिया गया है।







जन जागरूकता के लिए कागज़ और काईबोर्ड से पर्चे, पोस्टर, प्लेकार्ड बनाए जा सकते हैं और घोषणाएं की जा सकती हैं





पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर पैरों से चलाने वाले हैंड वॉश और सैनिटाइज़ेशन स्टेशन बनाए जा सकते हैं







वंडर और ग्राहक के बीच रुकावट या दूरी बनाने और ग्राहक प्रवाह को निर्देशित करने के लिए रस्सियाँ काम आ सकती हैं



वेंडर और ग्राहक के बीच रुकावट या दूरी बनाने के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं।



रस्सी या बांस के साथ एक रुकावट बनाएं






दूध या अंडे की क्रैट का उपयोग करके दूरी बनाएं


७. सैनिटाइज़ेशन स्टेशन बनाना सीखें



सामग्री और उपकरण







८. अपने अधिकारों को जानें





क्या आप स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए अधिकारों के बारे में जानते हैं? सभी सरकारी अधिकारियों को उचित प्रशासनिक कार्रवाई कर स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, लॉकडाउन के वक्त भी । पता लगाने के लिए आगे पढ़ें।

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट २०१४

इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा करना और स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करना है।

इस अधिनियम के तहत क्या आता है?

- र्ट्रीट वेंडर्स हमारे शहरों में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना आवश्यक है।
- 2 सभी मौजूदा स्ट्रीट वेंडर्स को शहर की 2.5% आबादी तक वेंडिंग और आवंटित वेंडिंग ज़ोन के प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।
- 3 टाउन वेंडिंग कमिटी (टी.वी.सी.) के ज़रिये भागीदारी प्रशासन की ज़रुरत है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के 40% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
- जब तक स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी न
 किया गया हो तब तक उन्हें बेदखल या स्थानांतरित नहीं
 किया जा सकता।




टाउन वेंडिंग कमिटी या टी.वी.सी. क्या है?

> टी.वी.सी. एक सरकारी संस्था है जो कानून के तहत ज़िले, वॉर्ड और शहर में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण करती है और वेंडिंग को नियंत्रित करती है।



टाउन वेंडिंग कमिटी



और एन.जी.ओ.

टी.वी.सी. में स्थानीय अधिकारी, प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी, स्टीट वेंडर्स संघ, बाज़ार संघ, एन.जी.ओ., निवासी कल्याण समिती, बैंक आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता नगरपालिका प्राधिकरण के आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

बेदखली से सम्बंधित अपने अधिकार जानें

किसी भी जोन या उसके हिस्से को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नो-वेंडिंग जोन घोषित किया जा सकता है। ऐसा होने पर स्ट्रीट वेंडर्स को टी.वी.सी. के कहने पर स्थानीय अधिकारी के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। धारा 18 (1)



बेदखली के कारण

स्थानीय अधिकारी उन स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल कर सकते हैं, जिनके वेंडिंग सर्टिफिकेट धारा 10 के तहत रद्द कर दिए गए हैं या जो बिना सर्टिफिकेट के वेंडिंग कर रहे हैं।



30 दिन का नोटिस

तीस दिन का नोटिस न मिलने तक किसी भी वेंडर को उसकी जगह से स्थानीय अधिकारी द्वारा हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। धारा 18 (3)



शारीरिक बेदखली

किसी स्ट्रीट वेंडर को स्थानीय अधिकारी द्वारा तभी हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है, जब वह 30 दिन के नोटिस समाप्त होने के बावजूद अपनी जगह न छोड़े। धारा 18 (4)



सामान ज़ब्त करना

स्टीट वेंडर का सामान स्थानीय अधिकारी द्वारा तभी जब्त किया जा सकता है, जब वह 30 दिनों के नोटिस में बताई गई जगह को खाली न करे। अधिकारी को स्ट्रीट वेंडर्स से ली गई वस्तुओं की एक विस्तृत सूची बनानी होती है, अपने हस्ताक्षर के साथ। धारा 19 (1)



सामान की पुनः प्राप्ति

यदि वेंडर्स नोटिस में बताई गई जगह को खाली करने के बाद अपने सामान को वापस लेने के लिए अधिकारी से अपील करते हैं. तो सामान उसी दिन वापस किया जाना चाहिए। जल्दी खराब होने वाले सामान को 2 दिन के अंदर वापस किया जाना चाहिए।

अगर कोई कार्यशील टी.वी.सी. नहीं है, तो स्टीट वेंडर्स की बेदखली उनके सर्वेक्षण के बिना नहीं हो सकती है।



यदि कोई अधिकारी ऐसा निर्णय लेता है जो आपको प्रभावित करता है



यदि नोटिस के बिना गैरकानुनी बेदखली,

फोटो और वीडियो लेना याद रखें

सामान को ज़ब्त करना, शारीरिक बेदखली, पुलिस उत्पीड़न आदि जैसे कार्य हो रहे हों।



हमेशा बेदखली के लिखित नोटिस के लिए पूर्छे



9. स्टैंसिल बनाना सीखें





इस पेज को फाडकर अपना स्टैंसिल बनाएं और इस चिन्ह को स्प्रे पेंट करें। अगले पेज पर दिए गए सरल निर्देशों का पालन करें!

आप खुद को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं?



अपने दस्तावेजों की एक कॉपी हमेशा

अपने पास रखें

प्रमाण पत्र, सर्वेक्षण प्रपत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और आपके व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज



आधुनिक जानकारी से

परिपूर्ण रहें

वेंडिंग के बारे में सरकार की अनुमतियों और खबरों की जानकारी रखें



सक्रिय रहें

स्ट्रीट वेंडर्स संगठन और एन.जी.ओ. से जुड़ें और मदद लें



स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें

स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए सरकारी नियमों का पालन करें

आप आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?


स्ट्रीट वेंडर्स को महामारी से बचाने के लिए केंद्रीय सरकार ने PM-SVANidhi योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रूपये का लोन दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नज़दीकी स्ट्रीट वेंडर एन.जी.ओ. या एसोसिएशन से संपर्क करें या सीधे PM-SVANidhi वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/login पर लॉग इन करें।





अपना स्टैंसिल बनाने के लिए इन सरल निर्देशों का पालन करें



हमें संपर्क करें:

delhi@wiego.org | socialdesigncollaborative@gmail.com

